



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार— 249404

संख्या : 584 / 81 / 06 / डी0आर0 / (मा0शि0) / सेवा-1 / 2025-26

दिनांक: 30 दिसम्बर, 2025

उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह-ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा-2025

विज्ञापित

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या: : A-3/S-1/DR(L.I.C)/2025, दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह-ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा-2025 के अंतर्गत रिक्त 808 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन की शर्तानुसार पात्र अभ्यर्थियों से आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 से ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	30 दिसम्बर, 2025
ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	::	31 दिसम्बर, 2025
ऑनलाइन आवेदन किए जाने एवं आवेदन शुल्क— Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI द्वारा जमा किए जाने की अंतिम तिथि	::	20 जनवरी, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने की प्रारम्भिक तिथि	::	28 जनवरी, 2026
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन किए जाने की अंतिम तिथि		06 फरवरी, 2026 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

2. पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या: A-3/S-1/DR(L.I.C)/2024, 18 अक्टूबर, 2024 के क्रम में प्रवक्ता पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किये गये आवेदन (कला विषय को छोड़कर) मान्य होंगे।

उक्त के अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं, परन्तु नवीन विज्ञापन के सापेक्ष पुनः आवेदन करना चाहते हैं वे अपना पूर्व में किया गया ऑनलाइन आवेदन निरस्त (Cancel) कर नवीन आवेदन कर सकते हैं, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ऐसे अभ्यर्थियों हेतु आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2025 एवं अन्य अर्हताओं की निश्चयक तिथि आवेदन की अंतिम तिथि रहेगी।

3. शासन के पत्र संख्या:—276311/XXIV-B-1/2025-17(02)/2008, दिनांक 18 फरवरी, 2025 के क्रम में आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या: : A-3/S-1/DR(L.I.C)/2024, दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के माध्यम से उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग 'समूह-ग') सेवा (सामान्य शाखा एवं महिला शाखा) परीक्षा-2024 के अंतर्गत विज्ञापित पदों में सम्मिलित प्रवक्ता-कला (सामान्य शाखा) के 02 पदों को विज्ञापन से हटा दिया गया था।

तदक्रम में विज्ञापन दिनांक 18 अक्टूबर, 2024 के सापेक्ष प्रवक्ता-कला, सामान्य शाखा हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन निरस्त किया जाता है। वर्तमान में जारी होने वाले विज्ञापन में प्रवक्ता-कला, सामान्य शाखा के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन दिनांक 30 दिसम्बर, 2025 के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रकाशित विज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों/निर्देशों का भली-भाँति अवलोकन अवश्य कर लें।

Sd/-
(जयवर्धन शर्मा)
प्रभारी सचिव।